

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-2
प्रपत्र संख्या-43ए(1)
(प्रस्तर 417 एवं 478 देखियें)
धनराशि जमा करने का चालान फार्म

- उप कोषागार/बैंक का नाम व शाखा
- 1:- जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो
या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा
रही है) उसका नाम
- 2:- पता
- 3:- पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम वाद संख्या
(यदि आवश्यक हो)
- 4:- जमा की जा रही धनराशि का विवरण
(धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है.....
तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है).....
- 5:- चालान की सकल राशि
- 6:- चालान की निबल राशि
- 7:- लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण/.....
लेखा शीर्षक की मुहर
- 8:- लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड
- मुख्य लेखा शीर्षक उप मुख्य लेखा शीर्षक लघु-शीर्षक उप शीर्षक
- | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

व्योरेवार शीर्षक धनराशि (अंको में)

धनराशि शब्दों में

चालान में लेखा शीर्षक की पुष्टि करने वाले
विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व
हस्ताक्षर

केवल उप कोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या

अंको में रू0

दिनांक

शब्दों में रू0

प्राप्त किया।
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार/
बैंक की मुहर सहित

विवरण :- रोकड (विवरण सहित)

नोट / सिक्के

(धनराशि रूपयों में)

1000	
500	
100	
50	
20	
10	
5	
2	
1	
(चेक पूर्ण विवरण के साथ)	
योग	

टिप्पणी :-

1:- जिन विभागों से अधिक संख्या में चालानों द्वारा धनराशि जमा होती है (जैसे व्यापारकर, स्लाम्प एवं पंजीकरण, शिक्षा, लोक सेवा आयोग आदि) उनहे बजट साहित्य के खण्ड-4 अथवा लोक लेखा खण्ड-2 के अनुसार लेखा शीर्षक मुद्रित कानस उचित होगा । अन्य प्रकरणों में बजट साहित्य खण्ड-2 (लोक लेखा) तथा खण्ड-4 (राजस्व एवं पूंजी लेखे की प्राप्तियों) में दर्शाये गये लेखा शीर्षक के स्तरों के अनुरूप विभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा ।

2:- बिल जमा धनराशियों के विज्ञापन द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रसारित लेखा-शीर्षक विशेष में धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है, तो ऐसी दशा में चालान फार्म के लेखा-शीर्षक को सत्यापित करना आवश्यक नहीं होगा ।

3:- यदि जमा की जाने वाली धनराशि में पैसे कोई अंश है तो 50 पैसे से कम की धनराशि को छोड दिया जायेगा एवं 50 पैसे एवं उससे अधिक की धनराशि को अगले उच्चतर रूपयें पर पूर्णांकित कर धनराशि जमा की जायगी ।